

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी ।

आदेश संख्या – / 2025

दिनांक:

जिला न्यायालय, उत्तरकाशी मुख्यालय में सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में अभियुक्त की रिमाण्ड/जमानत हेतु निम्नवत् रिमाण्ड मजिस्ट्रेट नामित किये जाते हैं :-

क्र०सं०	अवधि	रिमाण्ड मजिस्ट्रेट
1	01.09.2025 से 30.09.2025	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।
2	01.10.2025 से 31.10.2025	सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।
3	01.11.2025 से 30.11.2025	सिविल जज(सी०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।
4	01.12.2025 से 31.12.2025	न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

उपरोक्त अवधि में किसी भी नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण, अवकाश व अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में उनका कार्य लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा साथ ही साथ वी०आई०पी० ड्यूटी/प्रोटोकॉल सम्बन्धी कार्य भी नामित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।

(अभय सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी ।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी ।

पत्रांक / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी ।
3. सम्बन्धित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट ।
4. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तरकाशी ।
5. अधीक्षक, जिला कारागार, नई टिहरी ।
6. अधीक्षक, बाल सम्प्रेक्षण गृह, डुण्डा, जिला उत्तरकाशी ।
7. बार संघ, उत्तरकाशी ।
8. सिस्टम सहायक, उत्तरकाशी ।
9. गार्ड फाईल ।

(अभय सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी ।